फर्द अहकाम

नाम न्यायालय हनुमान सिंह बनाम मदन सिंह

केस संख्या दावा 63/2013

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		आज दिनांक 7/8/23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक नहीं आया। आज [illegible]/[illegible] कोर्टवर्क/[illegible] किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पीठासीन अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/8/23 को पेश हो।	
16/8/23		~~प्रार्थी/वादी की ओर से पारिवारिक न्यायालय जयपुर बाबत अंतरिम भरण पोषण पेश किये जाने बाद पत्रावली नियमानुसार पेशी को दर्ज आज पेशी पर ली गई। वकील प्रार्थी आशीष पेशी पर ली गई। वकील प्रार्थी एवं वकील वादी की ओर से आपसी समझौता पिट्ठा करने बाबत पेश कर निवेदन किया कि उभयपक्षों के मध्य लोक अदालत की भावना के अनुसार हो गया है अतः वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं आशीर्वाद प्रदान अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी प्रार्थना-पत्र पर अंकित किये जाने की पहचान वकील वादी द्वारा की गई। प्रतिवादी सं. 1/2 द्वारा अपने हस्ताक्षर अंकित किये जाने की पहचान वकील प्रार्थी द्वारा की गई। अब स्वयं वादिगण अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तो वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादीगण का आपसी समझौता पिट्ठा किये जाने वाद स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पिट्ठा के खारिज किया जाता है। पत्रावली कैमाल शुमार होकर इस नेचर की कर होकर डाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/8/23 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।~~	

Examined

Identified by me

Advocate

Identified by Advocate

(Advocate defendants)

सहायक कलक्टर
जयपुर सदर द्वितीय